न्यायालयः- अपर जिला न्यायाधीश संख्या-02, भरतपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सीताराम मीना, आर.जे.एस. (डी.जे. कैडर)

मुतफरिक दीवानी प्रकरण संख्या :- 53/2025
सी.आई.एस. नंबर :- 15/2023

हिमांश पुत्र विपास निवासी बुद्ध की हाट, भरतपुर (राज.)

--सायल

ब ना म

1- आशीष पुत्र स्व. राममोहन
2- सौरभ पुत्र स्व. राममोहन
3- विपास पुत्र राममोहन
निवासी बुद्ध की हाट, भरतपुर (राज.)

--गैरसायलान

4- श्रीमती कांता शर्मा पत्नी हरीशचंद पुत्री स्व.प्रेमनिधि
निवासी डी 423/424 वेस्ट एण्ड रहेजा विहार, चांदीवली फार्म रोड, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई
5- श्रीमती सुषमा पत्नी अनिल शर्मा पुत्री स्व. प्रेमनिधि
निवासी प्लाट नंबर डी-146 हसन खां मेवाती नगर, अलवर
6- उप पंजीयक महोदय, भरतपुर

--गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2
सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थितः-

1- श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता, सायल की ओर से।
2- श्री सुभाष शर्मा , अधिवक्ता- गैरसायल सं.1 से 3 की ओर से
3- श्री राकेश सिंह, अधिवक्ता गैरसायल संख्या 4 व 5 की ओर से
4- श्री नरेश चंद सिंघल, अधिवक्ता, गैरसायल स. 6 की ओर से

:- आदेश -:

दिनांकः- 30.03.2026

01. इस आदेश से सायल की ओर से, माननीय जिला न्यायाधीश भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत दावा के साथ पेश हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा. दी. जो माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर के आदेश क्रमांक स्था./2025/206 दिनांक 03.07.2025 के द्वारा इस न्यायालय को विधिवत सुनवाई व निस्तारण

हेतु अंतरित होकर प्राप्त हुआ है, का एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

02. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि सायल की पैत्रिक जमीन व जायदाद बुद्ध की हाट भरतपुर व ग्राम रामनगर व चक रामनगर व बारहमाफी में प्रार्थनापत्र की मद संख्या-2 की उपमद"अ से स" के अनुसार सीमा व पडौस के मध्य की स्थित है । उक्त जायदाद अ व ब सायल के बाबा राममोहन के चाचा प्रेमनिधि शास्त्री के स्वामित्व व आधिपत्य की व उपमद स में वर्णित आराजी प्रेमनिधि शास्त्री की खातेदारी काश्त की थी । प्रेमनिधि के कोई पुत्र नहीं था केवल 3 पुत्रिया पुष्पा, कांता व सुषमा थी । उनके विवाह के उपरांत ससुराल जाने पर प्रेमनिधि राममोहन को ही अपना पुत्र मानते थे। राममोहन ने ही वृद्धावस्था में उनकी सेवा व देखभाल की । जिससे प्रसंन्न होकर अपनी समस्त अचल सम्पत्ति की वसीयत प्रेमनिधि ने राममोहन के हक में एवं चल सम्पत्ति की वसीयत अपनी तीनों पुत्रियों के हक में दिनांक 23.10..1990 को की जो उनकी अंतिम वसीयत थी। प्रेमनिधि की मृत्यु दि.14.05.2006 को होने के बाद राममोहन को उक्त जायदाद बतौर वसीयत प्राप्त हुई। नगर निगम में जायदाद उनके नाम हुई एवं बतौर स्वामी काबिज होकर राममोहन उपयोग उपभोग करते रहे। राममोहन की दिनांक 15.10.2015 को निर्वसीयती मृत्यु हो गई। राममोहन के परिवार का सजरा प्रार्थनापत्र की मद संख्या-4 में अंकित अनुसार है । प्रेमनिधि की एक पुत्री पुष्पा की 2014 में मृत्यु हो गई। प्रेमनिधि की शेष 2 पुत्रियां गैरसायल सं.4 व 5 का कभी विवादित जायदाद पर कब्जा व काश्त नहीं रहा । लेकन उन्होंने उक्त जायदाद को हडपने के लिए एक दिखावटी व अवैध अनाधिकार रिलीज डीड दिनांक 09.06.2015 को गैरसायल सं 5 ने गैरसायल सं 4 कांता के हक में निष्पादित कर उप पंजीयक भरतपुर के यहां पंजीकृत कराई, जो प्रारंभ से ही सायल के मुकाबले अवैध व शून्य निष्प्रभावी है । जिसे वह प्रार्थनापत्र की मद संख्या-5 की उपमद "ए लगायत एफ" में अंकित आधारों पर अवैध शून्य व निष्प्रभावी घोषित करा पाने का अधिकारी है । गैरसायलान ने आपस में साज कर ली है एवं वे प्रार्थनापत्र की मद संख्या-2 में वर्णित सम्पत्तियां को खुर्द बुर्द करने, रहन वय मुंतकिल करने व दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने को आमदा है। जिसकी धमकी दि. 08.01.2022 को सायल को दी है। अगर वे अपनी धमकी में कामयाब हो गये तो सायल को असीम क्षति होगी। अन्त में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु बताते हुए मूल वाद के निर्णय तक उक्त विवादित सम्पत्तियों को अन्य व्यक्तियों को रहन, वय मुंतकिल नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

से पाबंद करने एवं रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने के लिए पाबंद करने का निवेदन किया। प्रार्थनापत्र के समर्थन में हिमांश का शपथपत्र पेश किया गया है ।

03. गैरसायल सं.1 लगायत 3 की ओर से जबाव प्रार्थनापत्र पेश कर अभिकथित किया कि विवादित सम्पत्तियां सायल की पैत्रिक नहीं है बल्कि उत्तरदाता को राममोहन की मृत्यु के बाद विरासत में मिली है । वृद्धावस्था में प्रेमनिधि की सेवा व देखभाल राममोहन के साथ गैरसायल सं.1 लगायत 3 द्वारा भी की गई है। सायल राममोहन के साथ संयुक्त हिन्दू परविार के सदस्य के रूप में नहीं रहा है। विवादित सम्पत्ति सायल की कोपार्सनरी सम्पत्ति नहीं है। उत्तरदाता गैरसायल सं.1 से 3 के रहते हुए सायल का कोई हित सम्पत्ति में नहीं है। हक त्याग विलेख अवैध शून्य व निष्प्रभावी होना स्वीकार है परन्तु हक त्याग विलेख से सायल के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडना स्वीकार नहीं है। गैरसायलान ने आपस में कोई साज नहीं की एवं ना ही कोई धमकी सायल को दी है । अतिरिक्त कथनों में अभिकथित किया है कि राममोहन की मृत्यु दिनांक 15.10.2015 को होने के पश्चात विवादित सम्पत्तियां गैरसायल सं. 1 से 3 को विरासतन प्राप्त हुई है जिनमें उनका 1/3-1/3 हिस्सा है। गैरसायल संख्या 4 व 5 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । सायल गैरसायल सं.3 का पुत्र है, जिसे अपना हिस्सा तय कराने का कोई अधिकार नहीं है। सायल ने बिना किसी अधिकार के वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र पेश किया है जो मय खर्चा खारिज किया जाये। जबाव के समर्थन में सौरभ मोहन का शपथपत्र पेश किया गया है ।

04. गैरसायल संख्या-4 व 5 की ओर से पृथक से जबाव पेश कर प्रारंभिक आपत्तियों में अभिकथित किया गया है कि सायल के पिता जीवित होने से सायल को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है। वर्तमान वाद में चाही गई सहायता के लिए वर्तमान वाद के गैरसायल संख्या एक आशीष, 2 सौरभ एवं 3 विपास ने गैरसायल संख्या-4 कांता व 5-सुषमा के विरूद्ध दिनांक 04.11.2016 को दावा संख्या 280/2016 उनवानी आशीष मोहन व अन्य बनाम सुषमा शर्मा व अन्य सक्षम न्यायालय में पेश कर रखा है । सायल गैरसायल संख्या-3 विपास का पुत्र है । दोनों वादों में समान विवाद है। अतः पूर्ववर्ती वाद के लंबित रहते हुए वर्तमान वाद चलने योग्य नहीं है। दिनांक 09.06.2015 का हक त्याग पत्र विधिवत पंजीकृत कराया है। उक्त त्यागपत्र को चुनौती देने का वर्तमान वाद अवधि बाधित है। सायल हिमांश ने वर्तमान वाद से पूर्व दिनांक 17.06.2015 के आस पास वर्तमान वाद की

मद संख्या-2 अ में वर्णित सम्पत्ति के संबंध में दावा संख्या 151/2015 उनवानी हिमांश बनाम राममोहन व अन्य पेश किया । जिसमें वर्णित सम्पत्ति राममोहन को उनके पूर्वजों से प्राप्त होना अभिकथित किया था तथा प्रेमनिधि की वसीयत दि.23.10.1990 से प्राप्त होना अभिकथित नहीं किया था। अतः सायल चरण संख्या-2 अ में वर्णित सम्पत्ति को प्रेमनिधि की वसीयत दि.23.10.1990 से प्राप्त होना कहने से एस्टोप्ड है उक्त वसीयत दि.23.10.1990 फर्जी बनाया जाना प्रमाणित है। उक्त तथाकथित वसीयत जबाव प्रार्थनापत्र की मद संख्या-6 में वर्णित ए लगायत आई कारणों से भी फर्जी प्रमाणित होती है। राममोहन ने दावा बृजमोहन बनाम कांता में दिनांक 13.02.2015 को सशपथ बयानों में स्वीकार किया है कि "प्रेमनिधि शास्त्री ने मेरे हक में कोई वसीयत एवं दानपत्र नहीं किया है। मेरे हक में प्रेमनिधि का कोई गोदनामा नहीं है"। राममोहन के दिए उक्त बयानों से तथाकथित वसीयत फर्जी होना प्रमाणित है। सायल का विवादित जायदाद पर कोई कब्जा नहीं है। सायल को हक की घोषणा व कब्जे के लिए वाद पेश करना चाहिए था। सायल ने असत्य अभिकथनों पर वाद पेश किया है। सायल ने वाद एवं प्रार्थनापत्र में उक्त पूर्ववर्ती वादों के तथ्यों को छिपाकर वाद व प्रार्थनापत्र पेश किया है। वह स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है । प्रार्थनापत्र के मदवार जबाव में भी मुख्य रूप से उक्त तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थनापत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया है । अतिरिक्त कथनो में अभिकथित किया है कि राममोहन शर्मा नौकरी करते थे तथा उनकी पोस्टिंग कभी भरतपुर में नहीं रही । वे वर्ष 1991 में सेवानिवृत होने तक भरतपुर के बाहर ही नौकरी करते थे तथा बाहर ही रहते थे । तथाकथित वसीयत दिनांक 23.10.1990 के बाद की अवधि तक अर्थात दिनांक 27.10.1999 तक प्रेमनिधि शास्त्री की पत्नी जीवित थी । प्रेमनिधि अपनी पत्नी के देहांत के समय तक पूर्ण स्वस्थ एवं एक्टिव थे । उनके अंतिम समय में उनकी सम्पत्ति की देखभाल उनके छोटे भाई धनेशचंद तथा समय समय पर अप्रार्थीगण एव उनके परिवार के सदस्य आकर करते थे । सायल के बाबा राममोहन शुरू से ही गैर जिम्मेदाराना प्रकृति के थे । दिवंगत प्रेमनिधि शास्त्री कभी सायल के बाबा राममोहन के साथ नहीं रहे । सायल के बाबा, सायल के पिता द्वारा कभी प्रेमनिधि की देखभाल नहीं की है । इस बारे में सारे तथ्य मनगढंत तथा दुर्भावना से प्रेरित होकर अंकित किए है। अतः प्रार्थनापत्र मय हर्जा खारिज करने का निवेदन किया। जबाव के समर्थन में सुषमा शर्मा के मुख्तयार आम मनीष भारद्वाज का शपथपत्र पेश किया गया ।

05. गैरसायल संख्या-6 की ओर से जबाव पेश कर अभिकथित किया गया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित सम्पत्ति सायल के स्वामित्व व आधिपत्य की होना सायल दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित करें। उत्तरदाता की किसी भी गैरसायल से कोई साज नहीं है। वह विधि अनुकूल दस्तावेजात को पंजीबद्ध करने का कार्य सम्पादित करता है। विधि अनुकुल दस्तावेज को पजीबद्ध करने के लिए वह स्वतंत्र है। सायल के पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया मामला उत्तरदाता के विरूद्ध नहीं बनता है। अतिरिक्त कथनों में कथित किया है कि राज्य सरकार को पक्षकार बनाए बिना सायल का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है। सायल ने धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता का भी नोटिस नहीं दिया है। प्रार्थनापत्र व दावा मियाद बाहर है एवं उत्तरदाता के विरूद्ध कोई विवाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। पर्याप्त न्यायशुल्क पेश नहीं किया है। अतः सायल का प्रार्थनापत्र मय हर्जा खारिज किया जाये ।

06. बहस उभय पक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

07. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का यह तर्क रहा है कि वाद वर्णित विवादित सम्पत्ति प्रार्थी के बाबा राममोहन के चाचा प्रेमनिधि शास्त्री के स्वामित्व व आधिपत्य की थी । प्रेमनिधि शास्त्री के कोई पुरूष संतान नहीं थी, अप्रार्थी संख्या-4 व 5 सहित उनके कुल 3 पुत्रियां थी, जिनके विवाह के पश्चात प्रेमनिधि शास्त्री ने राममोहन को ही अपना पुत्र माना था और उनके हक में अपनी समस्त अचल सम्पत्ति की वसीयत की थी । अप्रार्थी संख्या-5 ने अप्रार्थी संख्या-4 के हक में दिखावटी व अवैध तौर पर रिलीजडीड पंजीकृत करवाई है तथा उसकी आड में वह विवादित सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करने, रहन,वय, मुंतकिल करने पर आमदा है । अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला बनना पाया जाता है । यदि दौराने वाद सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द किया जाता है और कब्जा कराया जाता है तो इससे प्रार्थी को अधिक असुविधा कारित होगी तथा उक्त सम्पत्ति के उपयो से वह वंचित होगा तो उसे अपूर्णनीय क्षति कारित होगी । अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल दावा विवादित सम्पत्ति को अन्य व्यक्तियों को रहन, वय, मुंतकिल करने से पाबंद किया जाये ।

08. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 3 का दौराने बहस तर्क रहा है कि प्रार्थी के बाबा राममोहन प्रेमनिधि के साथ कभी संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में नहीं रहे है। विवादित सम्पत्ति प्रार्थी की कोपार्सनर सम्पत्ति नहीं है। अतः प्रार्थी उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई

अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

09. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या-4 व 5 का दौराने बहस तर्क रहा है कि प्रार्थी के पिता के जीवित रहते प्रार्थी को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है । प्रार्थी के पिता विपास ने इसी आधार पर पूर्व में वाद पेश किया था । साथ ही स्वयं प्रार्थी ने भी वर्ष 2015 में प्रार्थनापत्र की मद संख्या-2 अ में वर्णित सम्पत्ति के बावत वाद पेश किया था, जिसमें उक्त सम्पत्ति को राममोहन को उसके पूर्वजों से प्राप्त होना अभिकथित किया था । वसीयत से प्राप्त होना नहीं बताया था । स्वयं राममोहन ने पूर्व के वाद में दिए गए बयानों में प्रेमनिधि शास्त्री द्वारा अपने पक्ष में कोई वसीयत करने से इंकार किया है । अतः प्रार्थी की ओ से प्रस्तुत कथित वसीयत फर्जी है । प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है । उसके द्वारा पूर्व के वाद के तथ्यों के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किए है । अतः प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है । ना ही सुविधा संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है । अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाये । अपने तर्क समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए-

1. Indian Airlines Cor. V M/s Ramniwas Laduram RLW 1969 P 295
2. Kashi Math Samsthan & Anr. Vs Srimad Sudhindra Thirtha Swamy & Anr. 2010(1) RLW 578 (SC)
3. M/s Nushar Engineering Works Vs M/s Santosh Traders 2013(3) WLC (Raj.) 584
4. Chotu Meena Vs M/s Osho Real Estate & Ors. 2014 WLC(Raj) UC 63
5. Surendra Kumar V Jabrudeen & Ors. 2013 WLC (Raj.) UC 275
6. Rameshwar Lal & Ors. Vs Ramkumar & Anr. 2010 WLC(Raj)UC 223

10. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या-6 की ओर से यह तर्क रहा है कि उत्तरदाता अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है। अतः अप्रार्थी संख्या-6 के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अतः प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाये ।

11. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया, पत्रावली एवं संबंधित विधि व्यवस्थाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

12. न्यायालय को प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थनापत्र व पेश की गयी बहस के आधार पर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा

के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए निम्नलिखित तीन बिन्दुओं पर विचार किया जाना है :-

1. प्रथम दृष्ट्या मामला,
2. सुविधा का संतुलन एवं
3. अपूरणीय क्षतिः-

13. **<u>प्रथमदृष्ट्या मामलाः</u>-**

इस संबंध में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में यह आधार लिया गया है कि वाद वर्णित सम्पत्ति उसके बाबा राममोहन को उसके चाचा प्रेमनिधि शास्त्री से जरिए वसीयत दिनांक 23.10.1990 प्राप्त हुई है। उक्त सम्पत्ति प्रेमनिधि शास्त्री के स्वामित्व व आधिपत्य की रही है । अप्रार्थी संख्या-4 व 5 का विवादित जायदाद पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है । उक्त वसीयत के आधार पर नगर निगम ने जायदाद राममोहन के नाम की थी तथा उसी के द्वारा विवादित जायदाद का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थी का मामला प्रार्थनापत्र में वर्णित वसीयत दिनांक 23.10.1990 पर आधारित है। जबकि इस संबंध में अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की ओर से प्रस्तुत जबाव को देखा जाए तो विवादित सम्पत्ति प्रेमनिधि शास्त्री के स्वामित्व व आधिपत्य की होना तथा अप्रार्थी संख्या-4 व 5 प्रेमनिधि शास्त्री की पुत्रियां होना स्वीकृत तथ्य है । लेकिन अप्रार्थी संख्या-4 व 5 ने प्रेमनिधि शास्त्री द्वारा राममोहन के पक्ष में वसीयत किए जाने को गलत बताया है और विरासत के आधार पर उक्त सम्पत्ति स्वयं को प्राप्त होना बताया है ।

14. साथ ही अप्रार्थी संख्या-4 व 5 की ओर से प्रस्तुत जबाव प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में मूल वाद में स्वयं राममोहन शर्मा जो प्रार्थी के बाबा है, का पूर्व के वाद बृजमोहन बनाम श्रीमती कांता वगैरह दीवानी वाद संख्या 09/2012 में न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या-01, भरतपुर के समक्ष दिनांक 13.02.2015 को हुए बयानों की प्रमाणित प्रति पेश की गई है । जिसमें राममोहन शर्मा ने अपने हक में प्रेमनिधि शास्त्री द्वारा वसीयत करने से इंकार किया है । इसके अतिरिक्त पूर्व में भी वसीयत के आधार पर सौरभ मोहन बनाम कांता वगैरह वाद पेश किए जाने और उसके साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र पर दीवानी विविध प्रकरण संख्या 16/2018 में न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या-01, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी पेश की गई है । जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 3 जिनमें स्वयं प्रार्थी का पिता विपास जो कि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी

संख्या-3 है, भी पक्षकार था। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया था जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील (CIS संख्या 08/2019) खारिज करने बाबत इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2019 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रति भी अप्रार्थी संख्या-4 व 5 की ओर से पत्रावली पर पेश की गई है ।

15. ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजात से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि हस्तगत वाद में जिस दस्तावेज वसीयत दिनांक 23.10.1990 के आधार पर विवादित सम्पत्ति के बाबत प्रार्थी की ओर से वादपत्र पेश किया गया है, उसी वसीयत के आधार पर पूर्व में भी अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 3 की ओर से वाद पेश किया गया था । यह भी महत्वपूर्ण है कि अप्रार्थी संख्या-3 प्रार्थी का पिता है । अतः उसी आधार पर प्रार्थी द्वारा अपने पिता के जीवित रहते हुए वाद पेश किया गया है । यह भी स्पष्ट है कि समान आधार पर पूर्व में प्रस्तुत वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र खारिज किया जा चुका है । अतः उन्हीं आधारों पर प्रार्थी को अपने पिता के जीवित रहते पुनः वाद पेश करने पर प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया मामला बनना नहीं माना जा सकता है।

16. इसके अतिरिक्त वर्तमान वाद में चाहे गये अनुतोष के संबंध में ही गैरसायल संख्या-1 लगायत 3 द्वारा गैरसायल संख्या-4 व 5 के विरूद्ध पूर्व में न्यायालय सिविल न्यायाधीश भरतपुर के समक्ष दिनांक 08.11.2016 को प्रस्तुत वाद उनवानी आशीष मोहन वगैरह बनाम सुषमा वगैरह के वाद की प्रमाणित प्रतिलिपि भी मूल वाद की पत्रावली में अप्रार्थी संख्या-4 व 5 की ओर से पेश की गई है । जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त पूर्व के वाद में भी हस्तगत वाद में वर्णित रिलीज डीड दिनांक 09.06.2015 को अवैध, शून्य व निष्प्रभावी घोषित कराने का अनुतोष चाहा गया था ।

17. अतः यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता की ओर से पूर्व में हस्तगत वाद में वर्णित समान आधारों पर ही एवं समान अनुतोष हेतु उपरोक्त वाद पेश किए गए थे । उक्त पूर्व के वादपत्रों की जानकारी प्रार्थी को होना स्वाभाविक है। क्योंकि प्रार्थी हस्तगत प्रकरण में विवादित सम्पत्ति बाबत अपने पिता एवं बाबा(दादा) के जरिए ही स्वामित्व के अधिकार प्राप्त होना बताता है । लेकिन पूर्व में प्रस्तुत उक्त वादपत्रों से संबंधित तथ्यों का खुलाशा प्रार्थी की ओर से हस्तगत प्रार्थनापत्र में नहीं किया गया है । अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाते हुए मूल वाद के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। ऐसी स्थिति

में स्पष्ट है कि प्रार्थी शुद्ध भाव से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। अतः उसका आशय सद्भाविक प्रकट नहीं होता है । इस संबंध में अप्रार्थी संख्या-4 व 5 की ओर से पेश सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत M/s Nushar Engineering Works Vs M/s Santosh Traders 2013(3) WLC (Raj.) 584 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब वादी द्वारा उसकी जानकारी में होते हुए भी तात्विक तथ्यों को छिपाते हुए वाद पेश किया गया है तो उस स्थिति में वादी को अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। जिससे यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है। इसी प्रकार प्रस्तुत सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत Chotu Meena Vs M/s Osho Real Estate & Ors. 2014 WLC(Raj) UC 63 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां वादी का आचरण स्वच्छ नहीं हो और वह शुद्ध भाव से नहीं आया हो तो प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाना उचित है ।

18. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन विश्लेषण तथा उद्धत सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है ।

19. **<u>सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः-</u>**

जहां तक सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का प्रश्न है तो इस संबंध में यह स्पष्ट है कि वाद वर्णित विवादित जायदाद के संबंध में समान आधारों पर एवं समान अनुतोष हेतु पूर्व से ही प्रार्थी के पिता सहित अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 3 द्वारा न्यायालय के समक्ष वाद पेश किए हुए है। साथ ही जब प्रार्थी के पिता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जा चुका है तो इस स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने से तुलनात्मक रूप से उसे अधिक असुविधा कारित होने की संभावना नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त जब विवादित सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या-4 व 5 के पिता प्रेमनिधि शास्त्री की होना तथा अप्रार्थी संख्या-4 व 5 उक्त प्रेमनिधि शास्त्री के प्रथम श्रेणी के वारिसान होना प्रथमदृष्टया स्पष्ट है तो प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से उसे कोई अपूर्णनीय क्षति कारित होने की भी संभावना नहीं है ।

20. इस संबंध में यह भी महत्वपर्ण है कि दौराने वाद विवादित सम्पत्ति को अंतरण करने पर तथा दौराने वाद विवादित सम्पत्ति अंतरित कर दी जाती है तो मूल वाद में सफल होने पर धारा 52 सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के

प्रावधान प्रभावी होंगे । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उदधृत सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत Rameshwar Lal & Ors. Vs Ramkumar & Anr. 2010 WLC(Raj) UC 223 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "वादी की सफलता की स्थिति में वाद के लंबित रहते किए गए सभी अंतरण, सम्पत्ति अंतरण, अधिनियम की धारा 52 के अनुसार, डिक्री से आवृत्त हो जाएगे"। उक्त सम्मानीय न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में देखा जाए तो प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किए जाने से उसे कोई असुविधा व अपूर्णनीय क्षति कारित होने की संभावना नहीं है ।

21. इसी प्रकार प्रस्तुत सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत Indian Airlines Cor. V. M/s Ramniwas Laduram RLW 1969 P 295 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपूर्णनीय क्षति कारित होना साबित किये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष जारी नहीं किया जा सकता है । अन्य सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत Surendra Kumar V Jabrudeen & Ors. 2013 WLC (Raj.) UC 275 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के तथ्यों पर बिना विचार किए वादग्रस्त सम्पत्ति के अंतरण के निषेध बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए ।

22. इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या-4 व 5 की ओर से पेश सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत Kashi Math Samsthan & Anr. Vs Srimad Sudhindra Thirtha Swamy & Anr. 2010(1) RLW 578 (SC) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां पक्षकार प्रथमदृष्टया मामला साबित करने में विफल है तो सुविधा संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का मामला साबित होने पर भी प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है ।

23. इस प्रकार प्रार्थी उक्त तीनों बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

-: <u>आदेश</u> :-

24. अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार

होकर मूल वाद पत्रावली के साथ संलग्न रहे ।

(सीताराम मीना)
अपर जिला न्यायाधीश सं.2,
भरतपुर (राज.)

25. आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीताराम मीना)
अपर जिला न्यायाधीश सं.2,
भरतपुर (राज.)